मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

5वा तल मेट्रो प्लाजा ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल 462016

फोन - 0755- 2463585, फैक्स - 2981055

ई :मेल-secretary@mperc.in वेबसाईटwww.mperc.in

क्रमांक:म.प्र.वि.नि.आ./डी(टी)/224 भोपाल दिनांक 24/01/2023

आम सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 64 सहपठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन दर अवधारणा संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 के विनियम 9 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.जन.कं.लि.) ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन हेतु याचिका प्रस्तुत कर निम्नांकित प्रार्थना की है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू. 4934.48 करोड वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार एवं रू. 140.92 करोड अन्य प्रभारों के अनुमोदन एवं शेष अंतर राशि के छः समान मासिक किश्तों में समायोजन का अनुमोदन ।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित लेखा पुस्तिका के आधार पर अतिरिक्त पूंजीकरण के अनुसार अतिरिक्त अवक्षयण, अतिरिक्त अंशपूंजी पर प्रतिलाभ/ब्याज की अनुमति ।

(ग) विनियम 2020 की कंडिका 9.11 के अनुसार सत्यापन भुगतान की राशि पर ब्याज की अनुमति ।

मानदंडीय उपलब्धता गुणांक प्रयुक्त करने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभार के विरूद्व मांगी गई सत्यापन राशि का विद्युत गृह-वार विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :-

(रूपये करोड में)

क्रमांक	विद्युत गृह	आयोग के 19.05.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार	मानदंडीय उपलब्धता के आधार पर	अंतर राशि
1	अमरकंटक ता.वि.गृ.-3	190.32	197.92	7.59
2	सतपुडा ता.वि.गृ.-2 एवं 3	415.49	408.33	(-) 7.15
3	सतपुडा ता.वि.गृ.-4	626.98	630.47	3.49
4	संजय गांधी ता.वि.गृ.-1एवं2	454.41	428.90	(-) 25.51
5	संजय गांधी ता.वि.गृ.-3	313.15	320.09	6.94
6	श्री सिंगाजी ता.वि.गृ.-1	1307.74	1302.88	(-) 4.86
7	श्री सिंगाजी ता.वि.गृ.-2	1366.19	1412.97	46.78
	योग ताप	**4674.28**	**4701.55**	**27.27**
8	गांधीसागर ज.वि.गृ.	15.21	15.02	(-) 0.19
9	पेंच ज.वि.गृ.	27.06	28.42	1.37
10	राजघाट ज.वि.गृ.	14.89	11.96	(-) 2.94
11	बरगी ज.वि.गृ.	17.59	18.19	0.60
12	बाणसागर ज.वि.गृ.-1,2एवं3	151.88	123.64	(-) 28.24
13	बाणसागर ज.वि.गृ.-4	9.45	9.75	0.30
14	बिरसिंहपुर ज.वि.गृ.	6.06	5.62	(-) 0.44
15	मढीखेडा ज.वि.गृ.	19.17	20.32	1.16
	योग जल	**261.32**	**232.93**	**(-) 28.39**
	कुल योग	**4935.59**	**4934.48**	**(-) 1.12**

आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका क्रमांक 85/2022 से पंजीकृत किया है ।

इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 (इक्कीस) दिन के अंदर इच्छुक व्यक्ति टिप्पणी/आपत्ति/सुझाव, संबंधित दस्तावेजों एवं संबंधित साक्ष्य पत्रकों की छायाप्रतियों के साथ, सीधे सचिव, म.प्र.विद्युत नियामक आयोग, पांचवा तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट,भोपाल (म.प्र.) 462016 एवं एक प्रति मुख्य अभियंता (मा.सं.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि., प्रथम तल, खंड क्रमांक 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर 482008 (म.प्र.) को भेज सकते हैं। टिप्पणी/आपत्ति/सुझाव की अग्रिम प्रति फैक्स और ई-मेल से भी भेजी जा सकती है ।

मुख्य याचिका (अंग्रेजी में) की प्रति आयोग कार्यालय से अथवा कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.सं.एवं प्रशा.), म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर से, किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच, रूपये 200/- की राशि का नगद भुगतान कर अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक के डिमांक ड्राफट, जो कि एम.पी.ई.आर.सी. के नाम से भोपाल में देय या वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एंड एच.एस.), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर को देय हो, से प्राप्त की जा सकती हैं । याचिका की प्रति डाक द्वारा रू. 50/- मात्र अतिरिक्त भुगतान के साथ भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेब साईट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है ।

इस प्रकरण में जन-सुनवाई का आयोजन दिनांक 21.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित विचार, टीप, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, आयोग की बेवसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार जनसुनवाई में भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव